

सं.67/4/2017-प्रशासन-।

भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक सं.14, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

ईपीबीएएक्स सं. 24360707; फैक्स सं. 24361298

दिनांक: 8 मई, 2018

परिपत्र

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग में अनुभाग परामर्शी की नियुक्ति हेतु एक सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की सेवाओं की आवश्यकता है जिसके लिए कार्य संबंधी विवरण एवं योग्यताएं निम्नानुसार हैं:-

1. कार्य संबंधी आवश्यकताएं:

- अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद और उसकी पुनरीक्षा से संबंधित कार्यों को संचालित करना।
- संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं कर्मिकों को राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा संबंधी सरकारी नियमों एवं आदेशों तथा हिन्दी प्रशिक्षण से संबंधित प्रावधानों की जानकारी देना और उन्हें इनका कार्यान्वयन करने में सहायता करना।
- मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग के पत्राचार, टिप्पणियाँ, एजेंडा रिपोर्टें और संबंधित मामलों पर बैठकों के कार्यवृत्त तैयार करने में सहायता प्रदान करना।
- वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न कार्यों में सहायता करना।

2. अनिवार्य योग्यताएं:

- क. ऐसे सेवानिवृत्त कर्मिक, जो (i) सहायक निदेशक/समकक्ष अथवा उससे वरिष्ठ पद पर कार्यरत थे और (ii) जिन्हें संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्षों का अनुभव प्राप्त हो, इस पद के लिए पात्र होंगे।
- ख. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ स्नातक की उपाधि।

3. कार्यकाल:

चयनित उम्मीदवारों को संविदा आधार पर आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। इस अवधि को उम्मीदवार के कार्यनिष्पादन/मंत्रालय की आवश्यकता के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन संविदा की अधिकतम अवधि 5 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

4. आयु:

- उम्मीदवार की आयु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख अर्थात् इस विज्ञापन के वेबसाइट पर प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति पर 64 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख अर्थात् इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिनों में या इससे पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी उक्त पद पर आवेदन करने के पात्र होंगे।

5. शुल्क:

समेकित शुल्क निम्नानुसार होगी:-

सहायक निदेशक/समकक्ष पद (हिन्दी भाषा) पर सेवानिवृत्त अनुभाग परामर्शी	35,000/- रु. (प्रतिपूर्ति) + 2,000/- रु. (परिवहन भत्ता)
उप-निदेशक/समकक्ष अथवा उससे वरिष्ठ पद (हिन्दी भाषा) पर सेवानिवृत्त अनुभाग परामर्शी	38,000/- रु. (प्रतिपूर्ति) + 2,000/- रु. (परिवहन भत्ता)

6. भत्ते:

परामर्शी किसी प्रकार के भत्ते जैसे- महंगाई भत्ता, आवासीय दूरभाष, आवासीय व्यवस्था, व्यक्तिगत स्टाफ, सीजीएचएस, और चिकित्सीय प्रतिपूर्ति आदि के पात्र नहीं होंगे।

7. अवकाश:

परामर्शी एक वर्ष की नियुक्ति अवधि के लिए यथानुपात आधार पर 8 दिनों के अवकाश के लिए पात्र होंगे। अतएव कोई अनुभाग परामर्शी एक वर्ष में 8 दिनों से अधिक (यथानुपात आधार पर परिकल्पित) की अनुपस्थिति के मामले में किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति आहरित नहीं करेंगे। किसी कैलेंडर वर्ष में उपभोग किए गए अवकाश को अगले कैलेंडर वर्ष के लिये अग्रेणीत नहीं किया जाएगा। यह मंत्रालय किसी अनुभाग परामर्शी द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में पात्र अवकाश से 15 दिनों से अधिक की अवधि तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने की स्थिति में उसकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।


8. इच्छुक उम्मीदवार अपनी जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण तथा पेंशन भुगतान आदेश की एक प्रति के साथ अपना जीवनवृत्त अनुलग्नक-1 में दिये गये निर्धारित प्रपत्र (प्रति संलग्न) में इस रिक्ति के वेबसाइट पर प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर ई-मेल/डाक द्वारा निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं।

श्री अरविन्द पोखरियाल
अवर सचिव, भारत सरकार
ब्लॉक सं.14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष सं. 011-24362621
ई-मेल: arvind_p@nic.in

(अरविन्द पोखरियाल)
अवर सचिव, भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग में अनुभाग परामर्शी की नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र

1. नाम:
2. पिता का नाम:
3. जन्म तिथि:
4. राष्ट्रियता:
5. डाक का पता:
6. संपर्क/मोबाइल नं.:
7. ई-मेल पता:
8. सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति की तारीख:
9. स्थायी पता:
10. शैक्षिक योग्यता:



क्र.सं.	पाठ्यक्रम	विषय	विश्वविद्यालय/संस्थान	उत्तीर्ण होने का वर्ष	श्रेणी/वर्ग

11. कार्यानुभव:

क्र.सं.	संगठन/संस्थान	अवधि से तक	कार्य की प्रकृति	टिप्पणी

12. पेंशन भुगतान आदेश संख्या:

तारीख एवं स्थान:

(आवेदक के हस्ताक्षर)